



2026:AHC: 10434-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 729/2025

डॉ. रोहिताश कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार गौतम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

यह पीड़ित की एक अपील है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना, बिजनौर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 154 वर्ष 2021, अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 307 भा.द.सं. थाना रेहड़, जनपद बिजनौर से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या - 2378 वर्ष 2024 (राज्य बनाम कुलदीप सिंह व अन्य) में पारित दोषमुक्ति के आदेश दिनांक 04.11.2025 के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 413 के अंतर्गत दायर किया गया है।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.12.2021 को, अभियुक्त/विपक्षी संख्या 2 से 5 ने सूचनादाता/अपीलार्थी की चहारदीवारी को ढहा दिया और अपीलार्थी के भूखंड पर पड़ी निर्माण सामग्री ले गए। जब अपीलार्थी ने विपक्षीगण का विरोध किया, तो विपक्षी संख्या 3 ने अपीलार्थी पर गोली चलाई, जो अपीलार्थी को नहीं लगी। अपीलार्थी ने विपक्षी संख्या 3 को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन विपक्षी संख्या 3 अपनी पिस्टल की बट से अपीलार्थी को मारकर भागने में सफल रहा। उक्त घटना दिनांक 04.12.2021 की सुबह की बताई गई है और एफ.आई.आर. में कहा गया है कि नन्हे सिंह और गौरव इस घटना के साक्षी थे। एफ.आई.आर. दिनांक 06.12.2021 को दर्ज कराई गई थी और परिणामस्वरूप विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 307, 323, 504, 379 और 427 भा.द.सं. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 154 वर्ष 2021 पंजीकृत किया गया था। आरोप-पत्र धारा 323, 325 और 504 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप-पत्र में धारा 307 भा.द.सं. को शामिल किया। मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 323, 325, 504 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 2378 वर्ष 2024 पंजीकृत किया गया। विपक्षीगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2025 के माध्यम से विपक्षीगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।

हमने विचारण न्यायालय के निर्णय का परिशीलन किया है।

अपीलार्थी की चोट रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 को दोपहर 12.50 बजे तैयार की गई थी। चोट रिपोर्ट अपीलार्थी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर चार चोटें दर्शाती है। रिपोर्ट एफ.आई.आर. में बताए गए हमले के तरीके की पुष्टि नहीं करती है। एफ.आई.आर. में, अपीलार्थी ने विपक्षी संख्या 3 द्वारा केवल एक प्रहार का आरोप लगाया है और वह भी पिस्टल की बट से किया गया है। चोट रिपोर्ट में दिखाई गई चोटें केवल लाठियों और डंडों से ही कारित हो सकती थीं। इसके अलावा, चोट रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि चोटें ताजी थीं और 06.12.2021 की सुबह कारित हो सकती थीं। घटना दिनांक 04.12.2021 की सुबह होना अभिकथित है। एफ.आई.आर. घटना के दो दिन बाद पंजीकृत की गई थी। अपीलार्थी ने पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपने साक्ष्य में एफ.आई.आर. के संस्करण को दोहराया है। स्पष्ट रूप से, चोट रिपोर्ट अभियोजन के मामले की पुष्टि नहीं करती है और विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विसंगति पर संज्ञान लेते हुए धारित किया है कि 04.12.2021 की घटना के संबंध में अभियोजन का दावा संदिग्ध था।

विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी पर गोली चलाने का दावा भी सिद्ध नहीं हुआ है। अपनी गवाही में, विवेचना अधिकारी ने मौके से कोई खाली खोखा एकत्र करने या गोलीबारी का कोई साक्ष्य मिलने से इनकार किया है। अपनी गवाही में, पी.डब्ल्यू.-9 कहता है कि उसने मौके पर एक खाली खोखा देखा था। हालांकि, विवेचना अधिकारी द्वारा किसी गोली या किसी खाली खोखे की कोई बरामदगी नहीं दिखाई गई है।

अभियोजन द्वारा परीक्षित स्वतंत्र साक्ष्यों, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-2 से पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-10 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। हालांकि, अभियोजन उनकी प्रति-परीक्षा से कोई भौतिक तथ्य नहीं निकाल सका। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लेखनीय है कि पी.डब्ल्यू.-10 नन्हे सिंह के बारे में एफ.आई.आर. में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने का अभिकथन है।

विचारण न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से यह भी पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.-11 घनश्याम सिंह एक संयोगवश साक्षी है और वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। साक्षी घटना के बाद मौके पर पहुँचा और उसने अपीलार्थी को जमीन पर पड़ा देखा था। जहाँ तक पी.डब्ल्यू.-9 का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उसकी गवाही पर अविश्वास किया है और चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उसकी स्थिति पर इस आधार पर संदेह किया है कि पी.डब्ल्यू.-9 की गवाही स्वयं अपीलार्थी की गवाही से पुष्ट नहीं होती है। पी.डब्ल्यू.-9 ने कहा है कि अपीलार्थी बेहोश हो गया था, हालांकि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में उक्त तथ्य नहीं बताया है। अपनी गवाही में, पी.डब्ल्यू.-11 ने यह भी कहा कि अपीलार्थी फर्श पर पड़ा था और उसका हाथ उसकी नाक पर था। पी.डब्ल्यू.-9, पी.डब्ल्यू.-1 अर्थात् अपीलार्थी का भतीजा भी है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यों पर अविश्वास किया गया है और हमें विचारण न्यायालय की राय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह भी सामने आता है कि अपीलार्थी और अभियुक्त के बीच कोई संपत्ति विवाद है और पक्षकार एक-दूसरे के साथ मुकदमेबाजी में हैं।

उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है और हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और अपील विपक्षीगण को नोटिस जारी किए बिना संक्षिप्त रूप से **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

16 जनवरी, 2026

विपाशा